



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 216 राँची, शुक्रवार,

21 फाल्गुन, 1937 (श०)

11 मार्च, 2016 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संकल्प

24 फरवरी, 2016

विषय:- झारखण्ड राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

संख्या-म0नि0-XIV-विविध/202/2015-16/ 361 -झारखण्ड एक कृषक बाहुल्य राज्य है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ इसके पूरक क्षेत्रों यथा मछली पालन, पशुपालन एवं फल-सब्जी उत्पादन से जुड़ी हुई है। झारखण्ड राज्य के 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को आहार के रूप में मछली पसंद है। प्राकृतिक जल संसाधनों में परम्परागत ढंग से मछली पालन को धीरे-धीरे वैज्ञानिक मछली पालन की ओर उन्मुख किया जा रहा है। राज्य में करीब 1,15,000 हेक्टेएक्टर में विभिन्न जलाशय हैं। इनका अधिकतम संवहनीय उपयोग करने हेतु संचयन आधारित मात्रिस्यकी तथा केज कल्चर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य को मत्स्य उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने हेतु कृषकों को मत्स्य आहार आधारित मात्रिस्यकी (Feed based fisheries) की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य कृषकों को रियायत तथा संस्थागत पूँजी निवेश की आवश्यकता है। उपर्युक्त स्थिति में मछली पालन को कृषि का दर्जा देना आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा मत्स्य पालकों को कृषक की श्रेणी में रखा गया है। मछली पालन मूल रूप से कृषि का ही एक अंग है तथा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारण में मत्स्य पालन से प्राप्त आय को भी जोड़ा जाता है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. (क) मछली पालन को कृषि का दर्जा प्राप्त होने से इस क्षेत्र में पूँजी निवेश में बढ़ोत्तरी होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही राज्य में मत्स्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।
(ख) मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने से मत्स्य पालकों/संबद्ध कारखानों/प्रसंस्करण इकाईयों को कृषि दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
(ग) मत्स्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक से कृषि दर पर ऋण की सुविधा एवं कृषि सदृश्य न्यून प्रिमीयम दर पर बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
(घ) मछली पालन तथा मत्स्य उत्पादन की सहायक इकाईयों यथा मत्स्य आहार उत्पादन हेतु मिल तथा मत्स्य प्रसंस्करण हेतु उपकरणों पर कृषि सदृश्य कर देय होंगे।
(ड.) मत्स्य प्रक्षेत्र को संस्थागत निवेश हेतु प्राथमिकता क्षेत्र घोषित कर वित्तीय संस्थाओं को अधिक से अधिक ऋण/निवेश करने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा।
5. उपर्युक्त कंडिका-4 में वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से 30 दिनों के अन्दर अपेक्षित आदेश निर्गत करेंगे।
6. यह संकल्प दिनांक 11 फरवरी, 2016 को राज्य मंत्रिपरिषद की संपन्न बैठक में मद संख्या- 12 के द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के विशेष सचिव।